UPSI010013332026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5, सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी– (नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी), **(एच०जे०एस०) – UP02696**
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या :280/2026
CIS No: 613/2026

राजेश श्रीवास्तव उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र रामकुमार श्रीवास्तव निवासी ग्राम 16/142 को–ऑपरेटिव लेन तरीनपुर, थाना–कोतवाली नगर जिला सीतापुर।

–––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। **––––––––––अभियोजक।**

मु०अ० संख्या–378/2025
धारा–318(4),338,336(3),340(2)
बी०एन०एस०व धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना– कोतवाली नगर, जिला सीतापुर।

दिनांक –16.03.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

1. आवेदक/अभियुक्त **राजेश श्रीवास्तव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**378/2025** मुकदमा अपराध संख्या–**170/2025**, अंतर्गत धारा–**318(4),338,336(3),340(2) बी०एन०एस० व धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट,** पुलिस थाना–**कोतवाली नगर**, जिला सीतापुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार अक्षय सहाय के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि शपथकर्ता अभियुक्त संजीव कुमार श्रीवास्तव का सगा भाई है, जो मामले के तथ्यों से भली–भांति परिचित है तथा पैरोकार मुकदमा है। शपथकर्ता के भाई अभियुक्त राजेश श्रीवास्तव का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त न तो माननीय उच्च न्यायालय में ही जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया न ही खारिज हुआ और न ही विचाराधीन है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 के निर्देशानुसार दिनांक 16/10/2025 को IDHIKA LIFE SCIENCE f–69, Phase 02 Ground Floor, Transport Nagar LDA Colony Lucknow की जाँच औषधि विभाग लखनऊ की टीम द्वारा की गयी जिसमें PHENCY PIK–T Cough Syp. B. No– SRL25036 EID– Aug/2027, PHENCYPIK –TP Cough SYP में ही अन्य वैध जो कि निम्न है:–कोडीन युक्त सीरफ की आपूर्ति । विक्रय फर्म मेसर्स श्री बालाजी फार्मा 14, शिव मार्केट, जेल रोड, सीतापुर को किया गया। जिसके क्रम में मेसर्स श्री बालाजी फार्मा स्थित 14 शिव मार्केट जेल रोड, सीतापुर का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनोंक 10.11.2025 को किया गया। मौके पर फर्म के प्रो–राजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री राम कुमार श्रीवास्तव, निवासी–16/142 कोआपरेटिव गली निकट राम लीला मैदान सीतापुर दद्वारा थोक औषधि विक्रय लाइसेंस UP3420B2000061 UP3421B2000062 वैद्यता दिनांक 26.04.2029 प्रस्तुत किया गया।

Digitally signed by Narendra Nath Tripathi
Date: 2026.03.16 15:33:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur

निरीक्षण के दौरान मौके पर PHENCYPIK–T एवं PHENCYPIK–TP का कोई भी स्टक नहीं पाया गया। फर्म में बहुत थोडी सी औषधिया ही भण्डारित पाई गई। फर्म के प्रो0–राजेश श्रीवास्तव से औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम–1940 की धारा 24 के अन्तर्गत यह पूछा गया कि औषधिया कही और भण्डारित है या कोई और गोडाउन है, राजेश द्वारा बताया गया कि कोई गोडाउन नहीं है। मौके पर फर्म द्वारा PHENCYPIK–T Cough Syp 100ML का स्टक लेजर (01.04.2025 से 10. 11.2025) तक प्रस्तुत किया गया एवं PHENCYPIK–T Cough Syp 100ML का कोई स्टक लेजर (01.04.2025 से 10.11.2025) प्रस्तुत किया गया। क्रय अभिलेख का विवरण निम्नवत् हैः–क्रस 1. प्रोडक्ट का नाम PHENCYPIK–TP Cough Syp बैच न GL24224 एक्सपायरी दिनांक Feb 2027 बिल संख्या ILD 3135 date–29–03–2025 बेतलों की संख्या 1500 2. PHENCYPIK–TP Cough Syp GL2518 Mar 2027 ILD 317 date–11–06–2025 750 3. PHENCYPIK–TP Cough Syp SRL25–013 Mar 2027 ILE0330 date–14–06–2025 1500 4. PHENCYPIK–TP Cough Syp GL2518 Mar 2027 ILE0341 date–18–06–2025 1500 5. PHENCYPIK–TP Cough Syp SRL25–041 Aug 2027 ILE0738 date–01–10–2025 1050 योग 6,300 बोतल 1–फर्म द्वारा कुल 6300 बोतल (PHENCYPIK–T SYP एवं PHENCYPIK–TP Cough Syp की क्रय की गयी) 2–निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा विक्रय अभिलेख प्रस्तुत किये गये राजेश श्रीवास्तव प्रो–श्री बालाजी फार्मा द्वारा ज्यादातर सेल बिल डाक्टर के नाम से ही काटे है जिस पर ना ही कोई मोन अंकित है, न ही ड का रजिस्ट्रेसन न, न ही फर्म का लाइसेंस न अंकित पाया गया है कि उक्त औषधि को नशे के रूप में प्रयोग हेतु आम जनमानस को विक्रय किया गया। जाँच के दौरान उक्त फर्म द्वारा कोडीन युक्त PHENCYPIK–T एवं PHENCYPIK–TP के सम्पूर्ण क्रय–विक्रय अभिलेख न दिखा जाने के कारण औषधि एवं सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री अधिनियम–1940 के नियम 65 का उल्लंघन किया गया। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम–1940 तत्सबंधी नियमावली की धारा–22 (1) (d) के तहत उक्त फर्म को तत्काल प्रभाव से उक्त औषधियों के क्रय–विक्रय का सत्यापन किये जाने अथवा औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उचित निर्देश आदेश दिये जाने तक के लिए जनहित में बन्द करा दी गयी थी। जाँच के दौरान 02 संदिग्ध औषधियों PIKNIM–MD TAB एवं RABZOK DSR CAP के नमूने भी संग्रहीत किये गये एवं फर्म को 03 कार्य दिवस में उक्त से संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त आज दिनाँक तक श्री बालाजी फार्मा द्वारा अन्य कोई क्रय–विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। फर्म के प्रोपराइटर द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल निम्न है। जिनका अधोहस्ताक्षरी द्वारा भौतिक सत्यापन में द्वारा यह पाया गया कि फर्म के प्रोपराटर श्री राजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री राम कुमार श्रीवास्तव द्वारा कोडीन युक्त औषधि PHENCYPIK–T, PHENCYPIK–TP Cough Syp के फर्जी विक्रय बिल मेडिकल स्टोरों / हस्पिटल तथा छोलाछाप डाक्टरों के नाम से निर्गत किये गये है। क्रस 1 प्रोडक्ट का नाम PHENCYPIK–T Cough Syp बैच न0 G1.2518 एक्सपायरी दिनांक Mar 2027 बिल संख्या SA–00004 date–19–04–2025 बेतलों की संख्या 40 2. PHENCYPIK–T Cough Syp GL24224 FEB 2027 SA–00007 date–19–04–2025 40 3. PHENCYPIK–T Cough Syp GL24224 Mar 2027 SA–00005 date Cough–19–04–2025 40 4. PHENCYPIK–T Syp GL24224 FEB 2027 SA–00012 date–25–04–2025 50 5. PHENCYPIK–T Cough Syp GL24224 FEB 2027 SA–00011 date–25–04–2025 50 6. PHENCYPIK–T CoughSyp GL24224 FEB 2027 SA–00024 date–25–04–2025 50 7. PHENCYPIK–T CoughSyp GL2518 Mar 2027 SA–00017 date–25–04–2025 60 8.PHENCYPIK–T Cough SypILE0738 Aug 2027 SA–00018 date–27–04–2025 50 9. PHENCYPIK–T Cough Syp GL24224 FEB 2027 SA–00025 date–06–05–2025 50 10. PHENCYPIK–T Cough Syp GL24224 FEB 2027 SA–00033 date–19–05–2025 50 11. PHENCYPIK–T Cough Syp GL2518 Mar 2027 SA–00039 date–19–05–2025 50 12. PHENCYPIK–T Cough SypGL2518 Mar 2027 SA–00036 date–19–05–2025 50 13. PHENCYPIK–T Cough SypILE0738 Aug 2027 SA–00037 date–27–04–2025 25 14. PHENCYPIK–T

Cough SypILE0738 Aug 2027 SA–00037 date–27–04–2025 20 15. PHENCYPIK–T Cough SypSRL25–013 APR 2027 SA–00043 date–27–04–2025 50 एवं अन्य पृष्ठ संख्या...01 से 74 तक विक्रय बिल संलग्न है। श्री बालाजी फार्मा द्वारा ओशो मेडिकल स्टोर, सकरन को निर्गत विक्रय अभिलेख सत्यापन के दौरान फर्जी पाया गया। ओशो मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर द्वारा लिखित रूप में दिया गया कि उसने अपना लाइसेंस 24.03.2025 को निरस्त करने हेतु सरेण्डर कर दिया था साथ ही श्री बालाजी फार्मा द्वारा प्रजापती मेडिकल स्टोर, बडागाँव महोली के विक्रय अभिलेख बिल SA–00200 दिनांक 17.10.2025 का भी सत्यापन किया गया जो कि फर्जी है। प्रजापती मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर द्वारा भी लिखित बयान दिया गया कि श्री बालाजी मेडिकल फार्मा द्वारा काटा गया बिल फर्जी है। इसी क्रम में गुफरान मेडिकल स्टोर स्थित सदरपुर महमूदाबाद को निर्गत विक्रय अभिलेख का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि उसके नाम का श्री बालाजी मेडिकल फार्मा द्वारा काटा गया बिल फर्जी है जो गुफरान द्वारा लिखित बयान दिया गया। उपरोक्त समस्त प्रकरण के संबंध में सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ मण्डल लखनऊ को अवगत कराया गया, जिसके क्रम में सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा संबंधित फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। फर्म मेसर्स श्री बालाजी फार्मा 14 शिव मार्केट, जेल रोड, सीतापुर द्वारा कुल 6300 बोतल PHENCYPIK–T, PHENCYPIK–T Cough Syp क्रय की गयी, जिसमें फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त विक्रय अभिलेख फर्जी एवं कूटरचित तरीके से बनाये गये। फर्म मेसर्स श्री बालाजी फार्मा 14 शिव मार्केट, जेल रोड, सीतापुर ने विभाग द्वारा प्रदत्त थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरपयोग कर कोडीन युक्त औषधि PHENCYPIK–T, PHENCYPIK–T Cough Syp को अधिक मुनाफा कमाने एवं सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देष्य से विधिक औपचाकरकताओं को पूर्ण किये बिना औषधि N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) एवं प्रशाधन अधिनियम 1940 एवं तत्संबन्धी नियमावली 1945 में नियमों का उल्लघंन कर खुले बाजार में एवं कूटरिचत विक्रय अभिलेख प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह किया गया है। प्रकरण आमजनमानस में नशे के दुरपयोग में होने वाली औषधियों से संबंधित है। आमजनमानस के स्वास्थ्य व जीवन के साथ खिलवाड करने पर विषांकित औषधि का अवैदय रूप से व्यापार किया गया अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रोपराइटर श्री राजेश श्रीवास्तव पत्रु रामकुमार श्रीवास्तव, 16/142 कोपरेटिव लेन निकट रामलीला मौदान सीतापुर मेसर्स श्री बालाजी फार्मा, 14 शिव मार्केट, जेल रोड सीतापुर के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त फर्म मैसर्स श्री बाला जी का प्रोपराइटर है और हमेशा संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में व्यापार कर अपना व अनपे परिवार का जीवन यापन करता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने रजिस्टर मैन्यूफैक्चर निर्माता से दवाए खरीदकर रजिस्टर मेडिकल शॉप व रजिस्टर्ड डाक्टर को व रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस को दवाए बेचता है, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त के पास होलसेल मेडिसिन का वैध लाइसेंस है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी दवा किसी सार्वजनिक व्यक्ति को नहीं बेची गयी है, वरन् पंजीकृत दवाखाना व पंजीकृत डाक्टर को दवाए बिक्री की गयी है, जिसका जी०एस०टी० भी दे दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को स्थानीय औषधि निरीक्षक की अनुचित मांग की पूर्ति न कर पाने के कारण प्रार्थी के विरुद्ध झूंठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से और उसके प्रतिष्ठान से कोई भी नशीली वस्तु या दवा बरामद नहीं हुई है और न ही अवैध नशीली वस्तु के व्यापार का साक्ष्य पाया गया है, परन सरकार द्वारा चिन्हित दवा निर्माता कम्पनी से दवाइयां बिल के साथ खरीदी गयी हैं और रजिस्टर्ड दवाखाना मेडिकल स्टोर को व रजिस्टर्ड डाक्टर को बेची गयी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, वरन् औषधि निरीक्षक को अनुचित लाभ न दे पाने के कारण झूंठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तअपनी जमानत देना चाहता है। जमानत मिलने के पश्चात माननीय न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

6. सुना, केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त को फर्जी एवं रंजिशन फंसाया गया है। अतः जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

8. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अनुसार अभियुक्त फर्म मैसर्स श्री बालाजी का प्रोपराइटर के नाम से चलाता था जिसमें 6300 PHENCYPIK–T cough Syp. जो कि कोडीन युक्त थी तथा अभिलेख भी फर्जी पाये गये हैं। इस प्रकार उक्त अभियुक्त द्वारा कोडीन बिना किसी वैध रिकॉर्ड के फर्जी विक्रय अभिलेखों के आधार पर क्रय–विक्रय किया गया है। प्रस्तुत मामले में एक बड़ा रैकेट शामिल है। 60 से अधिक जिलों में इस प्रकार का नशे का कारोबार पाया गया है। इसकी उत्पाद इकाई रूड़की में पायी गयी है। एक SIT जांच के लिए गठित कर दी गयी है। इस प्रकार जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है।

9. केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि जैसा कि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा 6300 कोडीन युक्त बॉटल्स का बिना उचित अभिलेख के फर्जी तरीके से विक्रय किया गया है। यह बॉटल्स बिना किसी चिकित्सीय निर्देश के दी गयी हैं। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक–18 नवम्बर 2009 के अन्तर्गत PHENCYPIK–T Cough Syp 100ML की एक बोतल में कोडीन की कुल भाग 100ml/100gm= 100gm/Bottle यानी 100ml की एक बोतल में 100 ग्राम या 0.1 कि०ग्रा० होगी। उक्त मुकदमें में क्रय–विक्रय की गयी बोतलों की संख्या 6300 है जिसमें कोडीन की कुल मात्रा 630 कि०ग्रा० होगी। जबकि 1kg कोडीन वाणिज्यिक मात्रा के अन्तर्गत आती है। विवेचक के अनुसार उक्त कोडीन युक्त Cough Syp. की बिक्री नशे के उद्देश्य से की गयी तथा औषधि नियमावली, 1945 के नियम 51 एवं 52 के उल्लंघन में की गयी है। उक्त मामले की विवेचना प्रारम्भिक चरण में है। उक्त बॉटल्स की बरामदगी हेतु पुलिस प्रयास कर रही है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया है कि इस स्तर पर जमानत प्रदान करने से मामले की विवेचना एवं उक्त बरामदगी एवं अपराध की अन्य कड़ियों को जोड़ना इत्यादि प्रभावित हो सकता है।

10. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त पर लगाये गये अपराध की प्रकृति इत्यादि समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए एवं मामले के गुण–अवगुण पर विचार किये बिना जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं पाये जाते हैं एवं प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

11. आवेदक/अभियुक्त **राजेश श्रीवास्तव** ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**280/2026**, मुकदमा अपराध संख्या–**378/2025**, अंतर्गत धारा–**318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० व धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट**, पुलिस थाना–**कोतवाली नगर,** जिला सीतापुर निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.03.2026

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–5, सीतापुर।
JO CODE– UP02696

दीपिका सिंह/